रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13082021-228954
CG-DL-E-13082021-228954

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3031] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 12, 2021/श्रावण 21, 1943
No. 3031] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 12, 2021/SRAVANA 21, 1943

## पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2021

**का.आ. 3271(अ).**—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितम्बर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है) के अनुसरण में और भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1514(अ) तारीख 5 अप्रैल, 2018 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार (जिसे इसमें इसके पश्चात प्राधिकरण, बिहार कहा गया है), गठित करती हे, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

| | | |
|---|---|---|
| 1. | श्री अतुल आदित्य पांडे,<br>प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, भू-विज्ञान विभाग<br>पटना विश्वविद्यालय, पटना | अध्यक्ष; |
| 2. | श्री अरूण प्रकाश, भा.प्र.से.<br>(सेवा निवृत्त) विशेष सचिव-सह-निदेशक,<br>खान और भू-विज्ञान विभाग, बिहार सरकार | सदस्य; |

| | | |
|---|---|---|
| 3. | वन संरक्षक-सह-अपर सचिव,<br>पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग,<br>बिहार सरकार | सदस्य सचिव |

2. प्राधिकरण, बिहार के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।।

3. प्राधिकरण, बिहार ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रियाओं का पालन करेगा जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हैं।

4. प्राधिकरण, बिहार पैरा 5 के अधीन बिहार राज्य के लिए गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ आकलन समिति (एसईएसी) की सिफारिशों के आधार पर अपना निर्णय लेगा।

5. केंद्रीय सरकार, प्राधिकरण, बिहार की सहायता के प्रयोजन के लिए बिहार राज्य सरकार के परामर्श से, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ आकलन समिति (एसईएसी) बिहार (जिसे इसमें इसके पश्चात एसईएसी, बिहार कहा गया है) का गठन करती है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात:-

| | | |
|---|---|---|
| 1. | डा. गोपाल शर्मा,<br>वैज्ञानिक 'ई' और प्रभारी अधिकारी,<br>भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण, गंगा का मैदानी क्षेत्रीय केंद्र, पटना | अध्यक्ष; |
| 2. | डा. रमाकर झा,<br>प्रोफेसर,<br>सिविल इंजीनियरिंग, एनआईटी, पटना | सदस्य; |
| 3. | श्री रंजन कुमार,<br>प्रबंधक, परियोजना प्रबंधक समूह,<br>टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, पटना | सदस्य; |
| 4. | डा. अंशुमाली,<br>एसोसियेट प्रोफेसर,<br>पर्यावरणीय विज्ञान और अभियांत्रिकी विभाग,<br>आईआईएम (आईएसएम) धनबाद | सदस्य; |
| 5. | श्री अजीत कुमार समाईयर,<br>पूर्व वरिष्ठ सलाहकार,<br>बिहार आपदा प्रबंधन प्राधिकरण | सदस्य; |
| 6. | डा. बिभा कुमारी,<br>प्राणी विज्ञान विभाग,<br>मगध महिला कॉलेज, पटना विश्वविद्यालय, पटना | सदस्य; |
| 7. | श्री मोखतारूल हक,<br>बी.एफ.एस.,<br>सलाहकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग,<br>बिहार सरकार, पटना | सदस्य; |
| 8. | डा. आदित्य मोहंती,<br>एसोसिएट प्रोफेसर,<br>सेंट्रल यूनिवर्सिटी, दक्षिण बिहार | सदस्य; |
| 9. | सदस्य–सचिव,<br>बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पटना | सदस्य<br>सचिव |

IndiaCode

6. एसईएसी बिहार के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

7. एसईएसी, बिहार ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसी प्रक्रियाओं का पालन करेगी जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है।

8. एसईएसी बिहार सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करेगी और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में सर्वसम्मति पर पहुंचने का प्रयास करेंगे और यदि सर्वसम्मति पर नहीं पहुंचा जा सकता है तो बहुमत का मत अभिभावी होगा।

9. हितों के टकराव से बचने के लिए :

(क) प्राधिकरण, बिहार और एसईएसी, बिहार के अध्यक्ष और सदस्य यह घोषित करेंगे कि वे किस परामर्शी संगठन और किस परियोजना प्रस्तावक के साथ सहयुक्त हैं।

(ख) प्राधिकरण, बिहार और एसईएसी, बिहार के अध्यक्ष और सदस्य अपने कार्यकाल के दौरान ऐसी किसी भी परियोजना के लिए पर्यावरण समाघात निर्धारण (ईआईए), पर्यावरण प्रबंधन योजना तैयार करने में न तो कोई परामर्श देंगें, न ही सहयुक्त होंगे, जिसका आकलन प्राधिकरण, बिहार और एसईएसी, बिहार द्वारा किया जाना है; और

(ग) यदि गत पाँच वर्षों में प्राधिकरण, बिहार और एसईएसी, बिहार के अध्यक्ष या किसी सदस्य ने किसी परियोजना प्रस्तावक के लिए कोई परामर्शी सेवा प्रदान की है या ईआईए अध्ययनों का संचालन किया हैं, ऐसी स्थिति में, वे ऐसे प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित की जाने वाली किसी परियोजना के आकलन की प्रक्रिया में प्राधिकरण और एसईएसी, बिहार की बैठकों में स्वयं सम्मिलित होने से बचेंगे।

10. बिहार सरकार, प्राधिकरण, बिहार और एसईएसी, बिहार के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए किसी अभिकरण को अधिसूचित करेगी और वह सचिवालय सभी वित्तीय और संभार तंत्र जिसके अंतर्गत आवास, परिवहन और इनके सभी कानूनी कृत्यों की बाबत ऐसी अन्य सुविधाएं भी हैं, उपलब्ध कराएगा।

11. प्राधिकरण, बिहार और एसईएसी, बिहार के अध्यक्ष और सदस्यों की बैठक के लिए फीस, यात्रा भत्ता और महंगाई भत्ता बिहार राज्य सरकार के नियमों के अनुसार संदेय होगें।

[फ. सं. जे-11013/36/2008-आईए.II(I)]

डॉ. सुजीत कुमार बाजपेयी, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

## NOTIFICATION

New Delhi, the 12th August, 2021

**S.O. 3271(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O.1533(E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the said notification), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, number S.O. 1514(E), dated the 5th April, 2018, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority, Bihar (hereinafter referred to as the Authority, Bihar) comprising of the following Members, namely: -

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Shri Atul Aditya Pandey<br>Professor and Head<br>Department of Geology<br>Patna university, Patna | Chairman; |
| 2. | Shri Arun Prakash, IAS<br>Retired Special Secretary-cum-Director,<br>Mines and Geology Department, Government of Bihar | Member; |

| | | |
|---|---|---|
| 3. | Conservator of Forest-cum-Additional secretary,<br>Department of Environment, Forest and Climate Change,<br>Government of Bihar | Member Secretary. |

2. The Chairman and Members of the Authority, Bihar shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

3. The Authority, Bihar shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.

4. The Authority, Bihar shall take its decision on the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee constituted under paragraph 5 for the State of Bihar.

5. For the purpose of assisting the Authority, Bihar, the Central Government in consultation with the State Government of Bihar, hereby constitutes the State Level Expert Appraisal Committee (SEAC) (hereinafter referred to as SEAC, Bihar) comprising of the following Members, namely: -

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Dr. Gopal Sharma<br>Scientist 'E' and officer-in-charge,<br>Zoological Survey of India,<br>Gangetic Plains Regional center, Patna | Chairman; |
| 2. | Dr. Ramakar Jha<br>Professor,<br>Civil Engineering, NIT, Patna | Member; |
| 3. | Shri Ranjan Kumar<br>Manager, Project Management Group,<br>TATA Projects Ltd., Patna | Member; |
| 4. | Dr. Anshumali<br>Associate Professor<br>Environmental Science and Engineering Department,<br>IIM (ISM), Dhanbad | Member; |
| 5. | Shri Ajit Kumar Samaiyar<br>Former Senior Adviser,<br>Bihar Disaster Management Authority | Member; |
| 6. | Dr. Bibha Kumari<br>Department of Zoology,<br>Maghad Mahila College, Patna University, Patna | Member; |
| 7 | Shri Mokhtarul Haque<br>B. F.S.<br>Adviser, Environment, Forest and Climate Change Department, Government of Bihar, Patna | Member; |
| 8. | Dr. Aditya Mohanty<br>Associate Professor<br>Central University, South Bihar | Member; |
| 9. | Member-Secretary,<br>Bihar State Pollution Control Board, Patna | Member Secretary. |

6. The Chairman and Members of SEAC, Bihar shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

7. The SEAC, Bihar shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.

IndiaCode

8. The SEAC, Bihar shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavor to reach consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the view of the majority shall prevail.

9. In order to avoid any conflict of interest -

(a) the Chairman and Members of the Authority, Bihar and SEAC, Bihar shall declare as to which consulting organisation they have been associated with and also the project proponents;

(b) the Chairman and Members of the Authority, Bihar and SEAC, Bihar shall not undertake any consultation or associate with preparation of Environmental Impact Assessment (EIA) Environment Management Plan for a project, which is to be appraised by the Authority, Bihar and SEAC, Bihar during their tenure; and

(c) if in the past five years, the Chairman or any of the Members of the Authority, Bihar and SEAC, Bihar have provided consultancy services or conducted EIA studies for any project proponent, in that event they shall recuse themselves from the meeting of the Authority, Bihar and SEAC, Bihar in the process of appraisal of any project being proposed by such proponents.

10. The Government of Bihar shall notify an agency to act as Secretariat for the Authority, Bihar and SEAC, Bihar and the Secretariat shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of all their statutory functions.

11. The sitting fee, travelling allowance and dearness allowance to the Chairman and Members of the Authority, Bihar and SEAC, Bihar shall be paid as per the rules of the State Government of Bihar.

[F. No. J-11013/36/2008-IA.II(I)]

Dr. SUJIT KUMAR BAJPAYEE, Jt. Secy.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM
Digitally signed by SURENDER MAHADASAM
Date: 2021.08.13 13:08:01 +05'30'